दिनाक 03.02.2021
प्रेस विज्ञप्ति–03/21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद बागपत/थाना बडौत</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 01 लाख रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त घायल/मृत**

दिनांक 02.02.2021 को थाना बडौत व स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा सूचना के आधार पर आजाद नगर कस्बा बडौत को जाने वाले रास्ते पर बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। बदमाशों द्वारा की गयी फायरिंग में प्रभारी निरीक्षक बडौत व दिल्ली पुलिस के ए0एस0आई0 के बुलट प्रूफ जैकेट में गोली लग गई । पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही के दौरान 01 बदमाश घायल हो गया, जिसने अपना नाम जावेद उर्फ राशिद बताया। घायल बदमाश को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया, जहॉ चिकित्सको ने मृत घोषित कर दिया। एक अन्य बदमाश मौके से फरार हो गया। मृत अभियुक्त जावेद उर्फ राशिद के कब्जे/मौके से 01 अवैध कारबाइन 9 एमएम, 01 अवैध पिस्टल, भारी मात्रा में कारतूस, 01 सेन्ट्रो कार बिना नम्बर बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि मृत अभियुक्त जावेद उर्फ राशिद के विरूद्ध जनपद बागपत, गाजियाबाद, दिल्ली के विभिन्न थानो में लूट, हत्या, हत्या का प्रयास, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 19 अभियोग पंजीकृत है तथा मृत अभियुक्त द्वारा थाना सिंघावली अहीर क्षेत्रान्तर्गत दिल्ली पुलिस के एक आरक्षी की हत्या एवं लूट आदि की घटना कारित की गयी थी। मृत अभियुक्त थाना सिंघावली अहीर पर पंजीकृत मु0अ0सं0–272/2020 धारा 394/302/411/34 भादवि, मु0अ0सं0–264/ 2020 धारा 394/504/411 भादवि, व थाना बलैनी जनपद बागपत पर पंजीकृत मु0अ0सं0–99/

2020 धारा 392/411 भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु 01 लाख रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में जनपद बागपत पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

मृत अभियुक्त :–

1–जावेद उर्फ राशिद पुत्र इकराम निवासी डाबर तालाब कस्बा व थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी–:

1–01 अवैध कारबाइन 9 एमएम।

2–01 अवैध पिस्टल।

3–भारी मात्रा में कारतूस।

4–01 सेन्ट्रो कार बिना नम्बर।

जनपद बिजनौर/थाना किरतपुर

- **50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार,**
- **01 अवैध तमंचा बरामद**

दिनांक 02.02.2021 को थाना किरतपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रायपुर तिराहे से 50 हजार रूपये के पुरस्कार घोषित अपराधी नरपाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा बरामद हुआ।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो धारा 376/302 भादवि के अभियोग में आजीवन कारावास एवं 10 वर्ष के कारावास की सजा से दण्डित किया गया था। अभियुक्त के विरूद्ध एन0एस0ए0 की कार्यवाही भी की गयी थी। दिनॉकः 01.02.2021 को केन्द्रीय कारागार बरेली से फरार हो गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना इज्जतनगर पर मु0अ0सं0–64/2021 धारा 224 भादवि का अभियोग

पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त मुकदमा उपरोक्त में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना किरतपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त :–

नरपाल उर्फ सोनू निवासी मौज्जमपुर रायपुर थाना किरतपुर ।

बरामदगी–:

01 अवैध तमंचा ।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना आशियाना

- **03 शातिर चोर गिरफ्तार, चोरी की घटना का अनावरण**
- **चोरी के लगभग 23 लाख 60 हजार रूपये कीमत के 118 एन्ड्राइड मोबाइल फोन बरामद**

दिनांक 02–02–2021 को थाना आशियाना व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नगर जोन–8 के सामने रेलवे के किनारे रोड से 03 शातिर चोर 1–देवराज, 2–सुनील, 3–रजत को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की लगभग 23 लाख 60 हजार रूपये कीमत के 118 एन्ड्राइड मोबाइल फोन बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना आशियाना पर मोबाइल फोन चोरी के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 53/2021 धारा 379 भादवि, मु0अ0सं0 54/2021 धारा 379 भादवि, व मु0अ0सं0 55/2021 धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत है, जिसके अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे।

इस सम्बन्ध में थाना आशियाना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त

1— देवराज निवासी आउपुर थाना राजमहल जनपद साहवगंज झारखण्ड हालपता देवी खेड़ा थाना आशियाना लखनऊ।

2— सुनील निवासी वाऊपुर थाना राजमहल जनपद साहवगंज झारखण्ड।

3— रजत निवासी वाउपुर थाना राजमहल जनपद साहवगंज झारखण्ड हालपता देवी खेड़ा थाना आशियाना लखनऊ।

बरामदगी

1— चोरी के लगभग 23 लाख 60 हजार रूपये कीमत के 118 एन्ड्राइड मोबाइल फोन।

जनपद बाराबंकी/थाना टिकैतनगर

- **02 शातिर लूटेरे गिरफ्तार, लूट की घटना का अनावरण**
- **लूट के लगभग 06 लाख रूपये कीमत के सोने चाँदी के आभूषण**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल सहित 02 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 03.02.2021 को थाना टिकैतनगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर घेराबन्दी कर टिकैतनगर से बंदोसराय जाने वाले रोड पर भारत पेट्रोल पम्प के पास से 02 शातिर अभियुक्तों 1—रीशू, 2—उत्कर्ष कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के लगभग 06 लाख रूपये कीमत के भारी संख्या में सोने चाँदी के आभूषण, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल सहित 02 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि थाना टिकैतनगर क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 24.01.2021 को अज्ञात बदमाशों द्वारा सर्राफा व्यापारी से लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना टिकैतनगर पर मु0अ0सं0 25/2021 धारा 392 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद सोने चॉदी के आभूषण उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना टिकैतनगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त

1— रीशू निवासी सेवढ़ा थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी।

2— उत्कर्ष कुमार निवासी सराई गोदौली थाना गोसाईगंज लखनऊ।

बरामदगी

1— लूट के लगभग 06 लाख रूपये कीमत के भारी संख्या में सोने चाँदी के आभूषण

2— घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल सहित 02 मोटर साइकिल।

जनपद फतेहपुर/थाना कोतवाली

- **03 वाहन चोर गिरफ्तार,**
- **09 मोटर साइकिल,**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 03.02.2021 को थाना कोतवाली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान पक्का तालाब तिराहा भिटौरा रोड से 03 शातिर अभियुक्त 1—शिवा प्रताप 2—भूपेन्द्र 3—सुशील कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही पर चोरी की 09 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शिवा प्रताप शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद फतेहपुर के थाना कोतवाली व हुसैनगंज में गैंगेस्टर एक्ट आदि के 01 दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त :—

1—शिवा प्रताप निवासी नई बस्ती राधानगर थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर।

2—भूपेन्द्र निवासी नहर कालोनी थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर।

3—सुशील कुमार निवासी ग्राम मलाका थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर।

बरामदगी :–

1–09 मोटर साइकिल,

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस

जनपद बलिया/थाना रसड़ा

- **पुलिस कार्यवाही में 04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **लूट की घटना का अनावरण,**
- **लूट के 52 हजार रूपये नगद,**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस,**
- **घटना में प्रयुक्त 01 कार,**
- **04 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनॉकः 03.02.2021 को थाना रसड़ा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर टेड़ी पुलिया सिधागर घाट के पास चेकिंग के दौरान कार सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया, तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा पुलिस कार्यवाही के दौरान 04 अभियुक्तों 1–पंकज 2–नागेश्वर 3–अतीकउल्ला 4–असलम को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही पर लूट के 52 हजार रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 कार, 04 मोबाइल फोन, 03 आधार कार्ड, बैंक का पासबुक आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 06.11.2020 को थाना सिकन्दपुर व दिनॉकः 19.01.2021 को थाना रसडा क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये उक्त घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना रसड़ा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त :—

1—पंकज निवासी नरौली थाना कसया जनपद कुशीनगर।

2—नागेश्वर निवासी अमरडोआ थाना मुन्डेरवा जनपद बस्ती।

3—अतीकउल्ला निवासी अहिरौली थाना कसया जनपद कुशीनगर।

4—असलम निवासी अहिरौली राजा थाना कसया जनपद कुशीनगर।

बरामदगी—:

1—लूट के 52 हजार रूपये नगद,

2— 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस,

3— घटना में प्रयुक्त 01 कार,

4—04 मोबाइल फोन,

5—03 आधार कार्ड, बैंक का पासबुक आदि।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना बन्थरा

- **20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 03.02.2021 को थाना बन्थरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बन्थरा क्षेत्र से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त अली मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है तथा थाना बन्थरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0—473/19 धारा 60/63, 60/72 आबकारी अधिनियम व 272/468/471/420/419 भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बन्थरा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तः–

अली मोहम्मद निवासी कस्बा व थाना बन्थरा, लखनऊ।

जनपद बिजनौर/थाना नहटौर

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 02.02.2021 को थाना नहटौर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रामनगर उत्तराखण्ड से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त नसीम को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है तथा थाना नहटौर पर पंजीकृत मु0अ0सं0–91/1992 धारा 3(1)यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना नहटौर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त :–

नसीम निवासी सदरूद्दीन नगर थाना नहटौर जनपद बिजनौर ।

एसटीएफः बीमा मे बोनस देने जीवन भर हेल्थ इंश्योरेंश दिलाने व कम्पनियों मे इनवेस्ट करने पर कम समय मे रूपया दोगुना करने का झांसा देकर रिटायर्ड अधिकारियों से कई करोड़ की ठगी करने वाले गैंग का मास्टरमाइंड लखनऊ से गिरफ्तार।

दिनांकः 02–02–2021 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को बीमा मे बोनस देने, जीवन भर हेल्थ इंश्योरेंश दिलाने व कम्पनियों मे इनवेस्ट करने पर कम समय मे रूपया दोगुना करने का झांसा देकर रिटायर्ड अधिकारियों से कई करोड़ की ठगी करने वाले गैंग

के मास्टरमाइंड को जनपद लखनऊ से गिरफ्तार करने मे उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :–

1– रामेन्द्र कुमार मिश्रा पुत्र श्री मूलचन्द्र मिश्रा निवासी महसी, थाना हरदी, जिला बहराइच हाल पता–प्रेम बिहार बाग कालोनी मटियारी, थाना चिनहट, जनपद लखनऊ। (एडवोकेट हाईकोर्ट लखनऊ)

गिरफ्तारी का स्थान व समयः–

दिनांक :– 02.02.2021, **स्थानः**– पालीटेक्निक चौराहा लखनऊ **समयः**– 19:30 बजे।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से बीमा मे बोनस देने, जीवन भर हेल्थ इंश्योरेंश दिलाने व कम्पनियों मे इनवेस्ट करने पर कम समय मे रूपया दोगुना करने का लालच देकर जनता से कई करोड़ रूपये की ठगी करने वाले, मु0अ0सं0 183/20 धारा 419/420/406/467/468/471/120बी भा0द0वि0 व 66 सूचना प्रोद्योगिकी अधि0 थाना गाजीपुर पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ मे वांछित गिरोह के मास्टरमाइंड रामेन्द्र कुमार मिश्रा के सम्बन्ध में सूचनांए प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में श्री अनिल कुमार सिसोदिया, प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 के पर्यवेक्षण मे एस0टी0एफ0 मुख्यालय स्थित साइबर टीम को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। इसी क्रम मे साइबर टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

उपरोक्त के सम्बन्ध मे प्राप्त सूचना को विकसित करते हुए मुखबिर खास द्वारा मिली सूचना के आधार पर दिनांक 02.02.2021 को पालीटेक्निक चौराहा जनपद लखनऊ से उपरोक्त अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

इस गिरोह के 10 सदस्यों को पूर्व मे माह अगस्त 2020 मे एसटीएफ उ0प्र0 व लखनऊ पुलिस द्वारा रिटायर्ड अपर निदेशक उ0 प्र0 चिकित्सा स्वाथ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं डाक्टर श्री सीबी चौरासिया निवासी इंदिरा नगर लखनऊ से लगभग 40

लाख रूपये व रिटायर्ड पुलिस उपाधीक्षक श्री रंजीत सिंह बोरा निवासी एन डी तिवारी निवासी विकास नगर लखनऊ से रू 414474/— बीमा मे बोनस देने जीवन भर हेल्थ इंश्योरेंश दिलाने व कम्पनियों मे इनवेस्ट करने पर कम समय मे दोगुना करने का लालच देकर फर्जी कम्पनियों एलायंज ग्रीन सिटी, आरआईएल डेवलपर्स, एमडीआई ई कामर्स, मैक्स लाइफ म्युचुअल फाउंडेशन, गोल्डेन आरकिड, वेट फोलिओ सर्विस आदि के नाम पर खोले गये बैंक खातों मे जमा कराकर की गयी ठगी के परिप्रेक्ष्य मे थाना गाजीपुर पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ मे पंजीकृत मु0अ0स0 183/2020 व थाना विकास नगर पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ पर पंजीकृत मु0अ0स0 87/2019 मे गिरफ्तार किया जा चुका है व उपरोक्त गिरोह से भारी मात्रा मे कूटरचित बीमा पालिसी बाण्ड बरामद किया गया था।

पूछताछ मे उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि हम लोगों का एक संगठित गिरोह था। हमारे गिरोह का सदस्य वेद प्रकाश जो फर्जी नाम पते पर कम्पनी रजिस्टर्ड़ कराता था एवं कम्पनियों के नाम पर विभिन्न बैंकों मे खाता खुलवाता था। कम्पनियों के नाम पर खोले गये बैंक खातों के एटीएम व चेक बुक हस्ताक्षरित कराकर वेद अभिनव सक्सेना को उपलब्ध करा देता था। जिसके लिए वेद ठगी से खातों मे आये हुए रूपयों का 25 प्रतिशत कमीशन लेता था। नेहा सक्सेना जो पीएनबी मेट लाइफ मे कार्यरत थी, अपने पति रितेश के साथ मिलकर इंश्योरेंश से सम्बन्धित कस्टमर का डेटा निकालकर हम लोगों द्वारा खोले गये कालसेंटरों मे उपलब्ध कराती थी। इस डेटा पर प्रिया, मिनाक्षी के साथ मिलकर दिल्ली, मुम्बई आफिस की इंश्योरेंश कर्मचारी बनकर राशी, श्रद्वा, अशी मलिक मोनिका आदि नाम से नाम बदल बदल कर काल करती व कराती थी। हम लोगों द्वारा ज्यादातर रिटायर्ड अधिकारियों को टारगेट किया जाता था। कस्टमर को विश्वास दिलाने के लिए इश्योरेंश कर्मचारियों के साथ मिलकर प्रिया व मिनाक्षी द्वारा कम्पनी के नम्बर से कस्टमर को काल एसएमएस व व्हटसएप कराया जाता था। जब कस्टमर को विश्वास हो जाता था तो अभिनव व मिनाक्षी कस्टमर से जाकर मिलते है। यदि कस्टमर कैश मे पेमेंट नही करता था तब उससे पीएनबी, मैक्स लाइफ, आरएलआई आदि नाम से चेक ले लेते थे और बाद मे मैक्सलाइफ के आगे म्युचुअल फाउंडेशन, पीएनबी के आगे

सर्विसेज आदि लिख कर फर्जी कम्पनियो के बैंक खातों मे भुना लेते थे। मैक्सलाइफ म्युचुअल फाउंडेशन नाम से मेरी भी एक कम्पनी थी। जिसके खाते मे मैक्स लाइफ के नाम से लिए गए चेक पर अपने हाथ से ही म्युचुअल फाउंडेशन लिखकर चेक क्लियर करा ली जाती थी। वेद को 25 प्रतिशत कमीशन देकर बचे रूपये को हम लोग आपस मे बराबर बराबर बांट लेते थे। इसके अतिरिक्त कस्टमर को विश्वास दिलाने के लिए मिनाक्षी और प्रिया मिलकर कूटरचित बांड व रशीदें तैयार कर लेती थी। जिससे कस्टमर का रिनिवल मिलता रहता था। कई वर्ष तक रिनिवल जमा करने पर जब कस्टमर को बतायी गयी योजना के तहत लाभ/बोनस नही मिलता था तो वह पुलिस या इंश्योरेंश कम्पनी के आफिस जाने की बात करता था, तब अभिनव व रितेश द्वारा ग्राहकों को फोन करके खुद को आई0आर0डी0ए0 (**Insurance Regulatory and Development Authority of India**) का अधिकारी बताकर अपने पास शिकायत दर्ज करा ली जाती थी और एडवोकेट से सिविल सूट दायर करने, इसके बाद रूपया वापस दिलाने व वापस मिल रहे रूपये का जी0एस0टी0 आदि के नाम पर भी कस्टमर से 2–3 वर्ष तक ठगी की जाती थी। इस काम मे एडवोकेट सिविल सूट की प्रक्रिया के बारे मे मै समझाता था। मेरे गैंग के उपरोक्त लोगों को अगस्त 2020 मे जब से गिरफ्तार किया गया था तब से मै अपना घर बदल कर रह रहा था और इन लोगों के मुकदमे मे पैरवी कर रहा था।

प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक इस गैंग द्वारा विगत 5 वर्ष मे सैकडों लोगों से करोडों की ठगी की जा चुकी है। इस गैंग के सदस्य पूर्व मे विभिन्न इंश्योरेंश कम्पनियों मे भी कार्य कर चुके है।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त को मु0अ0सं0 183/20 धारा 419/420/406/467/ 468/471/120बी भा0द0वि0 व 66 सूचना प्रोद्योगिकी अधि0 थाना गाजीपुर पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ में दाखिल कर अग्रेतर विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

————